न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः टी.ए. 31/2017

पंजीयन दिनांकः 04.08.2017

ऊंकारलाल पिता मियांराम जाति जाट निवासी नपानिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर प्रकरण संख्या 29/2017 प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.07.17

उपस्थित वक्त बहस

1. चंदनमल जणवा– अधिवक्ता अपीलान्ट
2. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक 07.12.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने अपीलान्ट विपक्षी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट विपक्षी के खातेदारी की कृषि आराजीयात मोजा नपानिया तहसील भदेसर की कृषि आराजी नम्बर 377 रकबा 0.49 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है जिस पर अपीलान्ट विपक्षी द्वारा वोडाफोन कम्पनी का मोबाईल टावर निर्मित करवाया जा रहा है जो रकबा 0.02 हैक्टेयर है। जिस पर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के द्वारा निर्माण नही करने बाबत् पाबन्द किया गया है, तथा रूपान्तरण आदेश भी नही करवाने से रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मोजा नपानिया की आराजी नम्बर 377 रकबा 0.49 हैक्टेयर मे से 0.02 हैक्टेयर कृषि आराजीयात मोबाईल टावर वाली कृषि भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट विपक्षी के सम्मन नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट विपक्षी द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 20.03.2017 को उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया व प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार किया। यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट विपक्षी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दिनांक 23.12.2016 को ही रूपान्तरण की कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। जिस पर पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 30.12.2016 को रिपोर्ट आ चुकी है। उक्त तथ्यो को नजर अंदाज करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मोजा नपानिया तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 377 रकबा 0.49 हैक्टेयर मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

से 0.02 हैक्टेयर भूमि जिस पर वोडाफोन कम्पनी का मोबाईल टावर संचालित है। बिलानाम सरकार दर्ज कर कब्जे सरकार लिये जाने का आदेश पारित किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट विपक्षी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट विपक्षी की ओर से रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अपीलान्ट विपक्षी की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी को सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट प्रार्थी जरिये राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट विपक्षी ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने अपीलान्ट विपक्षी के खातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात को बिलानाम कर जप्त सरकार किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट विपक्षी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व जवाब के साथ दिनांक 23.12.2016 को अपने स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि आराजीयात मे से 40 बाय 40 कुलिया 1600 स्क्वायर फीट भूमि का व्यवसायिक रुपान्तर हेतु आवेदन की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जिसके साथ ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपीलान्ट विपक्षी का शपथ पत्र राजस्व नक्शा न्यायालय मे रुपान्तरण शुल्क जमा कराने का चालान तहसीलदार पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। अपीलान्ट विपक्षी की ओर से राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन भी प्रस्तुत किया गया जिसमे मोबाईल टावर लघु एवं छोटी इकाई मे आते है जिनकी लागत 10.00 लाख से 5.00 करोड के मध्य की होती है जिनका रुपान्तरण करवाया जाना आवश्यक नही है। उक्त सारे तथ्यो को नजर अंदाज करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। अपीलान्ट विपक्षी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का खण्डन किया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को उक्त प्रार्थना को दावे मे तब्दील किया जाकर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित था। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र मे अस्वीकारोक्ति का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् भी बिना सिविल प्रक्रिया अपनाये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नही होने से अपीलान्ट विपक्षी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 27.07.2017 जिसमे रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट विपक्षी ने अपने खातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात जो मोजा नपानिया तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 377 रकबा 0.49 हैक्टेयर मे से 0.02 हैक्टेयर भूमि पर वोडाफोन कम्पनी का मोबाईल टावर संस्थापित कर संचालित कर रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र का अपीलान्ट विपक्षी की ओर से जवाब प्रार्थना प्रस्तुत किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे जवाब के साथ दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट प्रार्थी की ओर से पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट दिनांक 24.01.2017 जो मौतबीरान की उपस्थिति मे तलब की जाकर प्रस्तुत की

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

गई। जिसमे स्पष्ट किया गया कि आराजी नम्बर 377 रकबा 0.49 हैक्टेयर अपीलान्ट विपक्षी के खाते मे दर्ज होकर मौके पर 0.02 हैक्टेयर भूमि पर अवैध टावर का निर्माण किया हुआ पाया गया। उक्त निर्माण के लिये कोई रूपान्तरण आदेश नही होना पाया गया। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वोडाफोन कम्पनी के द्वारा निर्माण कराये गये रकबे 0.02 हैक्टेयर भूमि को ही बिलानाम सरकार व जप्त सरकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो न्यायोचित व विधिसम्मत होकर अपीलान्ट विपक्षी की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओ की ओर से प्रस्तुत बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट प्रार्थी अपीलान्ट विपक्षी के विरूद्ध अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया जिसमे अपीलान्ट विपक्षी की ओर से दिनांक 20.03.2017 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन दस्तावेज प्रस्तुत किये व रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को वादपत्र मे तब्दील किया जाना आवश्यक था। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को वादपत्र मे बिना तब्दील किये सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन किये बगैर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मोजा नपानिया की आराजी नम्बर 377 रकबा 0.49 हैक्टेयर मे से 0.02 हैक्टेयर जिस पर वोडाफोन कम्पनी का टावर संचालित होना बताते हुए रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नही होकर सिविल प्रक्रिया संहिता के विपरीत होने से अपीलान्ट विपक्षी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट विपक्षी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर प्रकरण संख्या 29/2017 प्रार्थना पत्र निर्णय व आदेश दिनांक 27.07.2017 निरस्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह प्रार्थना पत्र को वादपत्र मे तब्दील कर उभयपक्षकारान के अभिवचनो के अनुसार पत्रावली मे आदेश 14 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए तनकियात कायम की जाकर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लिवाई जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए गुणावगुण पर अजसरे तनकीवार नव निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 16.01.2023 को सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)